न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 82/2017 (223 आरटीए) घीसाराम वगै. बनाम मानाराम वगै

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00124)

1 घीसाराम पुत्र स्व. मांगीलाल,

2 जगदीश पुत्र स्व. मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी सालवा कलां तहसील व जिला जोधपुर। (मृतक वादी सं. 05 के पुत्रगण)

.... अपीलांट्स

बनाम

1 मानाराम पुत्र स्व. घेवरराम,

2 पप्पूराम पुत्र स्व. घेवरराम,

3 नेमाराम पुत्र स्व. घेवरराम,

4 श्रीमती हरकू पत्नी स्व. घेवरराम (1 से 4 मृतक वादी सं. 1 के वारिसान)

5 गोकलराम पुत्र स्व. रुघाराम, (वादी सं. 2)

6 शिवराम पुत्र स्व रुघाराम (वादी सं. 3)

7 पानी पत्नी स्व. रतनाराम,

8 ढगलाराम पुत्र स्व. रतनाराम,

9 दूदाराम पुत्र स्व. रतनाराम,

10 कालूराम पुत्र स्व. रतनाराम,

11 प्रहलादराम पुत्र स्व. रतनाराम (7 से 11 मृतक वादी सं. 4 के वारिसान)

12 धौकलराम पुत्र स्व धूलाराम (प्रतिवादी सं. 1),

13 नथूराम गोदपुत्र स्व. बस्ताराम (प्रतिवादी सं. 2 का वारिस),

14 कोजाराम पुत्र स्व. प्रतापराम (मृतक प्रतिवादी सं. 3 का वारिस)

15 लूम्बाराम पुत्र स्व. श्री मगनाराम (प्रतिवादी सं. 4)

16 पपुड़ी पत्नी गुदड़राम, निवासी दईकड़ा तहसील व जिला जोधपुर।

17 परमु पत्नी पप्पूराम निवासी देवातड़ा तह.भोपालगढ़ मृतका के कायम मुकाम

17/1 पप्पूराम पुत्र श्री रामरख

17/2 राकेश पुत्र श्री पप्पूराम नाबालिग जरिए कुदरती वली पिता पप्पूराम

17/3 पिन्नू उर्फ प्रियंका पुत्री श्री पप्पूराम पत्नी श्री बुद्धाराम निवासी सेवकी कलां तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

18 जुगा पत्नी लाखाराम निवासी सेवकी खुर्द, तह. भोपालगढ़, जोधपुर।

19 केला पत्नी बक्शाराम निवासी लवेरा खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

20 मौका पुत्री मांगीलाल (16 से 20 मृतक वादी सं. 5 की वारिस पुत्रियां) उपरोक्त सभी जाति मेघवाल, निवासी गांव सालवा कल्लां तहसील व जिला जोधपुर।

21 राजस्थान राज्य जरिए श्री तहसीलदार जोधपरु।

.... रेस्सपोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2014, एवं 01.07.2015, संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2015 एवं 10.05.2016 व 22.11.2016 उपखण्ड अधिकारी जोधपुरअंतर्गत राजस्व वाद सं. 411/2011

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जी.आर. गोरा।
2 रेस्पो. सं. 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई।
3 रेस्पो. सं. 1, 3 4, 9, 10, 16, 18, 19, 20 की ओर से अधिवक्ता श्री वचनाराम चौधरी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4 रेस्पो. सं. 17 के का.मु. 17/1 से 17/3 के अधिवक्ता श्री रामलाल बंजारा।
5 रेस्पो. सं. 21 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
6 शेष रेस्पोडेंट्स (2, 7, 8, 11 से 15) बावजूद सूचना अनुपस्थित। ।

निर्णय

दिनांक : 14.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के राजस्व वाद सं. 411/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत घेवरराम व अन्य की ओर से राजस्व वाद सं. 411/2011 पेश किया गया था जिसमें निवदेन किया था कि मौजा सालवां कल्लां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 60, 62, 74 व 75 एवं करवाली ढाणी सरहद में कृषि भूमि खसरा सं. 168 आई हुई है जिस पर शुरू से पक्षकारान का कब्जा काश्त शुरू से मौके पर आपसी सहमति से पूर्व समय से अलग बंटवाड़ा किया हुआ चला आ रहा है। अंत में आपसी सहमति के बंटवाड़े के अनुसार आदेश पारित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया गया। उपरोक्त दावे का जवाब प्रतिवादीगण सं. 1, 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत किया गया तथा वाद कारण नहीं बनना बताया गया। उपरोक्त के अलावा अन्य कई दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई। उपरोक्त वाद पत्र के अलावा अन्य पक्षकारान लूम्बाराम व अन्य ने प्रतिवादीगण बस्ताराम व अन्य के विरुद्ध भी एक वाद पेश किया जो वाद सं. 412/2011 दर्ज किया गया। दोनों वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

अलग–अलग पत्रावली में विचारण किए जा रहे थे तथा निर्णय व प्राथमिक डिक्री भी अलग–अलग किए जिसमें वाद सं. 412/2011 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.12.2012 को उपखण्ड अधिकारी, पीठासीन अधिकारी नेहा गिरी आई.ए.एस. द्वारा पारित किया गया। तत्पश्चात अपीलाधीन वाद सं. 411/2011 का निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.12.2014 को शिवांगी स्वर्णकार आई.ए.एस द्वारा पारित किया गया। मगर बाद में अलग–अलग पीठासीन अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से समय–समय पर आनन–फानन में पक्षकारान से मिलावट करके पक्षपात पूर्ण निर्णय पारित किए जैसा कि पूर्व में पारित किए गए निर्णयों के बावजूद पीठासीन अधिकारी श्री देवाराम सुथार आर.ए.एस. द्वारा पुनः वाद सं. 411/2012 एवं 412/2011 का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 को पारित कर दिया। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी श्री देवाराम सुथार द्वारा ही वाद सं. 411/2011 व 412/2011 का संशोधन निर्णय–प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.07.2015 को पारित कर दिए। तत्पश्चात दिनांक 10.05.2016 को पीठासीन अधिकारी श्री आलोक रंजन आई.ए.एस. ने वाद संख्या 411/2011 व 412/2011 का संशोधित अंतिम निर्णय व डिक्री पर्चा जारी कर दिया। उपरोक्त के बावजूद दिनांक 22.11.2016 को पीठासीन अधिकारी श्री अयूब खान आर.ए.एस. द्वारा वाद संख्या 411/2011 व 412/2011 बाबत संशोधित अंतिम निर्णय व डिक्री पर्चा पुनः जारी कर दिया। उपरोक्त संपूर्ण जारी निर्णयों में कानून एवं तथ्यों की पूर्ण रूपेण से अवहेलना की गई है। तथा अलग–अलग अधिकारियों ने मनमर्जी से अलग–अलग कई निर्णयों में आदेश पारित कर दिए गए हैं। अतः अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाददर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जी.आर. गोरा ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस की एवं लिखित बहस पेश की जो इस प्रकार है कि वादी घेवरराम व अन्य की ओर से प्रतिवादी धोकलराम व अन्य के विरुद्ध वाद सं. 411/2011 अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया था कि मौजा सालवां कला एवं करवाली ढाणी की सरहद में खसरा नं. 60, 62, 74 व 75 व 168 स्थित है जिस पर कब्जा काश्तकारों का मौके पर शुरू से अलग–अलग बंटवाड़ा किए जाने से आया हुआ है। मगर राजस्व रिकार्ड में बंटवाड़ा नहीं किया होने से घोषणा–बंटवाड़ा–स्थाई निषेधाज्ञा की निर्णय व डिक्री प्रदान करावें। उक्त वाद की सुनवाई के दौरान अपीलांट के पिता मांगीलाल का देहावसन दिनांक 17.04.2013 को हो जाने के उपरांत अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सं.

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

16 से 20 को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही मनमाने ढंग से निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2014 को पारित कर दिए। तत्पश्चात अन्य वाद सं. 412/2011 का निर्णय पर्वू समय में दिनांक 04.12.2012 को ही किया गया होने के उपरांत दोनों निर्णित वाद पत्रों को (समेकित) कंसोलिडेटेड करके पुनः पुनः निर्णय एवं संशोधित निर्णय कुल चार बार पारित किए गए जिससे पीड़ित होकर यह अपील पेश की गई है। अपीलाधीन वाद सं. 411/2011 के वादी मांगीलाल अपीलांट के पिता का देहांत होजाने साथ-साथ वादी सं. 1 घेवरराम वादी सं. 4 रतनाराम, प्रतिवादी सं. 2 व 3 बस्ताराम एवं प्रतापराम का भी देहांत हो चुका है। मगर वाद सं. 412/2011 के निर्णय में पक्षकारान मुकदमा द्वारा मिलावट करके निर्णय पारित करवाया, जो आनन-फानन में किया जाने से बाद में वाद सं. 411/2011 के निर्णित वाद को भी कंसोलिडेटेड करके पुनः 4 बार संशोधन निर्णय एवं अंतिम संशोधन निर्णय इत्यादि नामों से पीठासीन अधिकारियों ने बारी-बारी से निर्णय करके अपीलांट के वाद को खिचड़ी बना दिया जो वाद निर्णय देखने मात्र से ज्ञात होता है कि अपीलांट के वाद की मूल भावना ही लुप्त हो चुकी है तथा मृतक व्यक्तियों के वारिसान को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए वाद ट्रायल एवं निर्णय चलने योग्य नहीं था जो अपास्त किए जाने योग्य है। पहली बार दोनों वाद पत्रों का अलग-अलग समय में निर्णय कर देने के उपरांत बंटवाड़ा प्रस्ताव शामिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें मृतक व्यक्तियों के एवं उनके वारिसों की सहमति नहीं ली गई। पक्षकारान के खेतों में जाने का रास्ता पूर्व समय के आपसी सहमति से बंटवाड़े अनुसार चला आ रहा था मगर बदनियती पूर्वक अपीलांट की भूमि हड़पने एवं वाद पक्षकारों के अलावा अन्य व्यक्तियों को गलत ढंग से फायदा पहुंचाने की लिहाज से बार-बार संशोधित निर्णय किए जाकर पूर्व बंटवाड़ा प्रस्ताव में नए रास्ते का प्रावधान नहीं होते हुए भी बाद में मनमर्जी से नए रास्ते का प्रावधान संशोधन के जरिए जोड़ दिया गया जिससे पारित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। रेस्पो. सं. 5 व 6 की ओर से धारा-5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का जबाब बेहूदा ढंग से दिया गया है कि अपीलांट को वाद निर्णय की जानकारी थी जबकि उक्त रेस्पोडेंट द्वारा जानबूझकर अपीलांट को वाद में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाने से अपीलांट को वाद निर्णय की जानकारी नहीं हुई थी, जिससे धारा-5 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। दोनों वाद पत्रों में पक्षकारों के अलग-अलग नामों से दर्ज कर दिया जाने से भारी गलतियां कारित की गई हैं। उक्त गलतियों को छुपाने हेतु न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करके निर्णय पारित किए गए। पुनः दिनांक 22.11.2016 को संशोधन निर्णय पारित किए जाकर इजराय की पालना एवं अन्य पक्षकार की नाम शुद्वि के आदेश पारित किए गए तथा रकबा भी मनमाने ढंग से संशोधित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा बिना सोचे समझे संपूर्ण कार्यवाही की गई है जो चलने योग्य नहीं होने से अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

5 रेस्पो. सं. 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने बहस में कथन किया कि प्रस्तुत अपील से संबंधित वाद में मांगीलाल स्वयं वादी था। दावा मुख्य रूप से खाता विभाजन का है। धारा 88 केवल इसलिए लिखा था कि कुछ खातेदार फोत हो गए थे। जब किसी व्यक्ति के मैरिट पर खिलाफ फैसला हो तभी अपील कर सकता है। निर्णय व डिक्री मांगीलाल के पक्ष में हुआ था। जब उसके पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित हुए हैं अर्थात कसेंट डिक्री की अपील मैंटेनेबल नहीं हैं। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है। रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपीलांट/प्रार्थी के धारा–5 के प्रार्थना पत्र पर विस्तृत बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पो. सं. 5 व 6 की ओर से धारा–5 के प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया है। तथा जवाब के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर है तथा मनगढ़त एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण केवल बंटवारे हेतु पेश किया था तथा बंटवाड़े के प्रकरण अबेट नहीं होते हैं। वैसे भी अपीलार्थी को विचाराधीन प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी वे समय–समय पर जानकारी लेते रहे तथा प्रस्तावित बंटवारे के लिए अधिकारी भी मौके पर गए थे उस वक्त भी वहां उपस्थित थे उसके बाद अपीलार्थी ने विवाद केवल इस बात के लिए किया कि प्रत्यर्थीगण को रास्ता नहीं दिया जावे। इस बात को लेकर दाण्डिक प्रकरण भी दर्ज हुए जिसमें स्वयं अपीलार्थी घीसाराम जगदीश व घीसाराम के पुत्र रमेश ने पुलिस थाना डांगियावास में प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें स्वयं यह लिखते हैं कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में रास्ता खुलवाया गया था उसके बाद रास्ते को रोका गया तब आपसी विवाद हुआ तथा मौके पर भारसाधक अधिकारी डांगियावास द्वारा मुटाम खड़े करवाकर खड़ी फसल को नुकसान नहीं हो उसके लिए कांटो की निर्मित किंवाड़ी लगवाई गई जो वर्तमान में भी मौजूद है। तात्पर्य यह है कि अपीलार्थी स्वच्छ हाथों से श्रीमान न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलार्थी की अपील ही सारहीन है क्योंकि प्रत्यर्थी के हिस्से में जो भूमि रखी गई थी वह मुख्य सड़क के खसरे से हटकर पीछे रखी गई है तथा मुख्य सड़क पर अपीलांट्स का हिस्सा रखा गया है। उसमें से भी जो भूमि सामलाती रास्ते के लिए रखी गई है उसके बाबत भी अपीलांट आपत्ति कर रहे हैं। अपीलांट इस निर्णय व डिक्री से संतुष्ट नहीं है तो प्रत्यर्थी को इस सड़क पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाकर मुख्य सड़क पर उनका हिस्सा दे दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं हैं। लेकिन निश्चित तौर से अपीलार्थी इस बात के लिए भी सहमत नहीं होगा। हस्तगत अपील केवल पक्षकारों को खर्चे से जैरकार करने के लिए प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने

नकल हेतु आवेदन करने एवं उसे नकलें प्राप्त करने की तिथियां गलत रूप से अंकित की हैं। वास्तविकता यह है कि अपीलांट के द्वारा दिनांक 25.07.2017 को सहायक पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष एक इस्तगासा प्रस्तुत किया जिसमें रास्ते के विवाद का हवाला दिया जिसमें विवाद की तारीख 23.07.2017 बताई। इसी से संबंधित एक दूसरी शिकायत अपीलार्थी जगदीश द्वारा दिनांक 06.08.2017 को दर्ज करवाई उक्त दोनों ही शिकायतों बाबत अनुसंधान किया गया जिसमें उक्त घीसाराम के बया दिनांक 28.07.2017 को कलमबद्ध किए गए जिसमें स्वयं घीसाराम यह कथन करता है कि जमीन का विवाद चल रहा था जिसका निर्णय दिनांक 10.05.2016 को किया गया जिसकी पालना दिनांक 22.07.2017 को नायब तहसीलदार जोधपुर, भू–अभिलेख निरीक्षक दईकड़ा व हल्का पटवारी मय पुलिस जाब्ता रास्ता खुलवाया गया। उक्त रास्ते को लेकर झगड़ा करते हैं उक्त बयानों पर स्वयं घीसाराम अपने हस्ताक्षर करता है इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी दिनांक 17.09.2017 को सहायक पुलिस आयुक्त जोधपुर कमिश्नरेट के समक्ष चालान पेश करते हैं जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में मनगढ़त तारीखें अंकित की हैं तथा न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। अपीलार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आए हैं तथा ऐसे व्यक्ति जो सद्भाविक रूप से उपस्थित नहीं होकर उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु झूठ बोलते हैं एवं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं वे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम खारिज करते हुए अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया। बंटवारा होने के बाद जमीन के कुछ पोर्शन का बेचान भी हुआ है अपीलांट घीसाराम ने रेस्पो. सं. 2 पप्पूराम के फर्जी अंगूठा घीसाराम के द्वारा लगाकर अधिवक्ता मुकर्रर कर पैरवी शुरू करवा दी जबकि पप्पूराम ने अधिवक्ता बचनाराम को कभी भी मुकर्रर नहीं किया तथा न ही फीस अदा की उक्त कार्य केवल घीसाराम ने फर्जीवाड़े की नियत से किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में झूठे वकालतनामा पेश किए जिसकी पुलिस थाने में एफ.आई.आर भी करवाई गई।

6 रेस्पो सं. 17 के कायम मुकाम की ओर अधिवक्ता श्री रामलाल बंजारा लिखित बहस पेश की गई कि इस प्रकरण में मृतक व्यक्ति के विरुद्ध डिक्रीयां पारित की गई तथा बंटवारा प्रस्ताव झूठ–मूठ दिनांक 11.05.2015 को तैयार करना बताकर डिक्री की पालना मनमाने ढंग से करवा दी गई है। डिक्री की पालना, प्रस्ताव बंटवाड़ा एवं पूर्व के संशोधनों में बताया गया है कि अपीलांट के (मृतक) पिता हस्ताक्षर अंगूठा निशानी से मना कर रहे हैं जबकि मृतक व्यक्ति कैसे मना कर सकता है।अपीलांट/रेस्पोडेंट 17 के पिता एवं अन्य व्यक्तियों ने अपनी भूमि का बंटवाड़ा वक्त सैटलमेंट से मौके पर कर लिया, जिससे उपरोक्त रेस्पोडेंट के मन में वैमनस्य पैदा हो जाने

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी

से पक्षकारों के पास 100 वर्षो पूर्व की रास्ते की सुविधा होते हुए भी मनमाने ढंग से रास्ते की नवीन एंट्री अपीलांट के खेत में से होना बताया गया जिससे आए दिन उक्त रेस्पोडेंट लड़ाई झगड़े कर रहे हैं जिससे पारित निर्णय व डिक्री एवं निष्पादन कार्यवाही खारिज किए जाने योग्य है। निर्णय एवं संशोधन निर्णय पूर्व अपीलांट के पिता के अलावा वादी संख्या 1, 4 प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 का भी देहांत हो चुका है, इस प्रकार प्राथमिक निर्णय व अंतिम निर्णय की डिक्री प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। वाद निर्णय व निष्पादन बाले-बाले ही किए गए, जिसकी जानकारी नहीं होने से अपीलांट अपील समय पर पेश नहीं कर सके जिससे बाद जानकारी अपील अंदर मियाद पेश की गई है। अपीलांट के पिता मांगीलाल की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिससे प्राथमिक निर्णय डिक्री व संशोधित निर्णय व डिक्री एवं अंतिम निर्णय व डिक्रीयां मृतक व्यक्ति के विरुद्ध होने से तथा आदेश 20 व 22 सी.पी.सी. के विरुद्ध होने से निर्णय, डिक्री एवं निष्पादन खारिज योग्य है।

रेस्पो. सं. 21 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार का हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस अपील को पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपीलांट्स ने पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन वाद निर्णय में अपीलांट के मृतक पिता/वादी के कायम मुकाम नियुक्त किए बिना यानी कोई सूचना के वाद की विचारणा करके प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 15.12.2014 को पारित कर दिए जबकि अपीलांट के पिता का देहावसन दिनांक 17.04.2013 को ही हो चुका था तथा बाद में समय-समय पर पारित किए गए विभिन्न निर्णय-डिक्री इत्यादि की भी जानकारी अपीलांट्स को नहीं रही तथा अंत में बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं नामांतरकरण की कार्यवाही भी बिना अपीलांट्स के हस्ताक्षर एवं निबा अपीलांट्स को जानकारी दिए संपूर्ण कार्यवाही बाले-बाले की है जिससे निर्णयों की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट्स द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल का आवेदन कर दिनांक 18.08.2017 को प्राप्त किया तब वाद पत्र चलने एवं निर्णय होने की जानकारी होने से वादपत्र की नकलें प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.09.2017 को नकलें दी गई जिससे बाद जानकारी यह अपील प्रस्तुत की गई। अतः प्रार्थना पत्र धारा-5 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

दूसरी ओर रेस्पो. सं. 5 व 6 के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने नकल हेतु आवेदन करने एवं उसे नकलें प्राप्त

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने की तिथियां गलत रूप से अंकित की हैं। वास्तविकता यह है कि अपीलांट के द्वारा दिनांक 25.07.2017 को सहायक पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष एक इस्तगासा प्रस्तुत किया जिसमें रास्ते के विवाद का हवाला दिया जियमें विवाद की तारीख 23.07.2017 बताई। इसी से संबंधित एक दूसरी शिकायत अपीलार्थी जगदीश द्वारा दिनांक 06.08.2017 को दर्ज करवाई उक्त दोनों ही शिकायतों बाबत अनुसंधान किया गया जिसमें उक्त घीसाराम के बयान दिनांक 28.07.2017 को कलमबद्ध किए गए जिसमें स्वयं घीसाराम यह कथन करता है कि जमीन का विवाद चल रहा था जिसका निर्णय दिनांक 10.05.2016 को किया गया जिसकी पालना दिनांक 22.07.2017 को नायब तहसीलदार जोधपुर, भू–अभिलेख निरीक्षक दईकड़ा व हल्का पटवारी मय पुलिस जाब्ता रास्ता खुलवाया गया। उक्त रास्ते को लेकर झगड़ा करते हैं उक्त बयानों पर स्वयं घीसाराम अपने हस्ताक्षर करता है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी दिनांक 17.09.2017 को सहायक पुलिस आयुक्त जोधपुर कमिश्नरेट के समक्ष चालान पेश करते हैं जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में मनगढ़त तारीखें अंकित की हैं तथा न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। अपीलार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आए हैं तथा ऐसे व्यक्ति जो सद्भाविक रूप से उपस्थित नहीं होकर उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु झूठ बोलते हैं एवं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं वे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने एवं अपील पत्रावली में फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2017 एवं सहायक पुलिस उपायुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जोधपुर महानगर के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 25.07.2017 एवं इस इस्तगासे के की जांच में अपीलांट घीसाराम के बयान दिनांक 27.08. 2017 का अवलोकन करने से से यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट घीसाराम को उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 10.5.2016 की जानकारी दिनांक 22.07.2017 से पूर्व में थी। जबकि अपीलांट धारा–5 के प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के निर्णयों की जानकारी वादपत्र एवं निर्णय की नकल दिनांक 05.09.2017 को प्राप्त होने पर होना बतया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा धारा–5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य विश्वसनीय प्रमाणित नहीं होते हैं। रेस्पों. सं. 5 व 6 की ओर धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थना पत्र के तथ्यों का उपरोक्तानुसार खण्डन किया है एवं अपने जबाब के साथ रेस्पोडेंट संख्या 6 शिवराम का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपील मियाद बाहर प्रमाणित होती है।

9 यह प्रकरण खाता विभाजन का है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण

बंटवारे हेतु पेश किया था तथा बंटवाड़े के प्रकरण अबेट नहीं होते हैं। वैसे भी अपीलार्थी को विचाराधीन प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी वे समय–समय पर जानकारी लेते रहे तथा प्रस्तावित बंटवारे के लिए अधिकारी भी मौके पर गए थे उस वक्त भी वहां उपस्थित थे उसके बाद अपीलार्थी ने विवाद केवल इस बात के लिए किया कि प्रत्यर्थीगण को रास्ता नहीं दिया जावे। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के निर्णय–प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री व संशाधित निर्णय व संशोधित डिक्री का अवलोकन किया जिसके अनुसार दिनांक 15.12.2014 को वाद संख्या 411/2011 को प्राथमिक डिक्री किया गया व उसमें वाद सं. 412/2011 को कंसोलिडेटेड किया गया। दिनांक 15.12.2014 का निर्णय व डिक्री तथा कंसोलिडेशन का आदेश उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना जाकर उनकी उपस्थिति में पारित किया गया है। जिसपर अपीलांट का आक्षेप यह है कि यह निर्णय अपीलांट के पिता के मृतक होते हुए भी पारित कर दिया तथा कंसोलिडेट करने का आदेश बिना प्रार्थना पत्र के स्वयं न्यायालय ने कर दिया। इस आक्षेप में अपीलांट ने निर्णय की मैरिट पर अर्थात हिस्से अथवा बंटवारे में कोई त्रुटि होने का आधार नहीं लिया है। दिनांक 01.07.2015 को प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री जारी की गई। इस निर्णय व अंतिम डिक्री पर अपीलांट की ओर से यह आपत्ति की गई है कि तहसीलदार से मिलावट कर बंटवाड़ा प्रस्ताव में मनमाने ढंग से रास्ते बता दिए तथा नामांतरकरण की कार्यवाही भी कर दी जिसमें वाद के दौरान मरे हुए व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिए। इस आपत्ति में केवल रास्ते दर्ज की नवीन आपत्ति की है हिस्से में व बंट में आई हुई भूमि के बारे में कोई आपत्ति नहीं की है। रेस्पो. सं. 5 व 6 के अधिवक्ता का इस संबंध में कथन है प्रत्यर्थी के हिस्से में जो भूमि र मुख्य सड़क के खसरे से हटकर पीछे रखी गई है तथा मुख्य सड़क पर अपीलांट्स का हिस्सा रखा गया है। रास्ते के लिए केवल अपीलांट के हिस्से की भूमि नहीं ली है बल्कि रास्ते की भूमि सामलाती हिस्से में से है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में रास्ते कटे हुए नहीं होते हैं तथा बंटवारा के समय रास्ता उन काश्तकार के लिए दिया जाना होता है जिनकी भूमि के लिए रास्ता नहीं हो अथवा सड़क से दूर हो। इस प्रकरण में बंटवारे में रेस्पो. सं. 5 व 6 के लिए रास्ता देना कोई विधिक त्रुटि में नहीं आता है। जबकि अंतिम डिक्री से यह भी प्रमाणित होता है कि अपीलांट के पिता के हिस्से में डामर सड़क के पास भूमि रखी गई है जिससे उनके हिस्से में व भूमि की लोकेशन में अपीलांट को कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद दिनांक 24.07.2015 को 152 सी.पी.सी के आधार पर नाम लिखने में हुई लिपिकीय त्रुटि को सही किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 22.11.2016 को संशोधन किया गया है जिसमें भी लिपिकीय त्रुटि को ही ठीक किया गया है। किसी पक्षकार के वास्तविक हिस्से व हिस्से की भूमि की लोकेशन खसरा नंबर में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया है जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उनके हितों पर कुठाराघात हो। अपनी अपील में भी ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है जिससे किसी पक्षकार के हित प्रभावित हो रहे हों। अपीलांट की मुख्य आपत्तियां यही रही है कि मृतक पक्षकारान के खिलाफ भी निर्णय एवं डिक्री पारित किया है, रेस्पो. सं. 5 व 6 को रास्ता उपलब्ध करवा दिया है, दोनों दावों को बिना प्रार्थना पत्र के कंसोलिडेटेड कर दिया है तथा निर्णय एवं डिक्री में संशोधन करके प्रकरण को खिचड़ी बना दिया है। लेकिन अपीलांट ने मैरिट पर हिस्से व बंट में आई भूमि पर ऐतराज नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट द्वारा केवल तकनीकी त्रुटियों पर आक्षेप किया गया है। अतः गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयों में कोई विधिक त्रुटि होना अपीलांट साबित नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा अपीलांट्स द्वारा प्राथमिक डिक्री, अंतिम डिक्री एवं संशोधित निर्णयों एवं डिक्रियों के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो विधि अनुसार नहीं हैं। अपीलांट को प्रत्येक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध पृथक–पृथक अपील पेश करना आवश्यक था इस आधार पर भी अपील खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपील मैरिट पर भी स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2014 एवं 01.07.2015, संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2015 एवं 10.05.2016 व 22.11.2016 **यथावत रखे जाते हैं।**

14/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर